

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,  
प्रमुख सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक: 04 जून, 2020

विषय:- प्रदेश में औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य कार्यालयों/संस्थाओं/संस्थानों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु प्रबन्धन एवं बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-902/पांच-5-2020, दिनांक 31.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

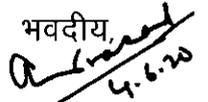
2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के बिन्दु (ग) के उपबिन्दु-3 में यह व्यवस्था की गयी है कि:- यदि श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने हेतु वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें 100 सीटर बस में केवल 50 प्रतिशत क्षमता में ही परिवहन की सलाह दी जाती है। यह अनुपालन सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

3- अवगत कराना है कि देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 01.06.2020 से 30.06.2020 तक प्रभावी रहने के संबंध में गृह विभाग के शासनादेश संख्या-1382/2020/सीएक्स-3, दिनांक 31.05.2020 (प्रति संलग्न) के बिन्दु-5 के उपबिन्दु-(xvii) में यह व्यवस्था की गयी है कि रोडवेज बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही किया जाएगा, स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालकों को मास्क, गलक्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

4- तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 31.05.2020 में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-902/पांच-5-2020, दिनांक 31.05.2020 के सन्दर्भित प्रस्तर में यह संशोधन किया जाता है कि श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने हेतु प्रयोग किये जाने वाले वाहन में निर्धारित सीट क्षमता पर ही परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु गृह विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 31.05.2020 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन किया जाएगा।

शासनादेश संख्या-902/पांच-5-2020, दिनांक 31.05.2020 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  
  
4.6.20  
(अमित मोहन प्रसाद)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1203(1)/पांच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उ०प्र०, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( वेद प्रकाश राय )  
अनु सचिव।

वेद प्रकाश राय  
04/06/2020  
2020/4  
4/6/2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,  
मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।  
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज  
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर  
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(गोपन) अनुभाग-3

दिनांक 31 मई, 2020

विषय: गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 30 मई, 2020 कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक 01.06.2020 से दिनांक 30.06.2020 तक प्रभावी रहने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 30 मई, 2020 कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक 01 जून, 2020 से दिनांक 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या 381/2020/सीएक्स-3 दिनांक 18 मई, 2020 को जारी निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 17 मई, 2020 एवं 30 मई, 2020 के क्रम में उक्त दिशा-निर्देशों को उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों के साथ लागू किया जाए:-

लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक जारी रहेगा।

1. कन्टेनमेंट-ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार छूट प्रदान की जाएगी:-

प्रथम चरण:-

(इस हेतु स्थानीय परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य-सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जाएंगे)

निम्नलिखित गतिविधियों को दिनांक 08 जून, 2020 से शुरू किया जाएगा:-

- (i) धर्म-स्थल/पूजा-स्थल जनसामान्य हेतु
- (ii) होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य अतिथि-सत्कार सेवाएं
- (iii) शॉपिंग-मॉल्स

### द्वितीय चरण:-

(इस हेतु स्थानीय परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य-सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जाएंगे)

समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों आदि को माह जुलाई, 2020 में भारत सरकार के सम्भावित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खोलना प्रस्तावित है।

### तृतीय चरण:-

निम्नलिखित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेंगी-

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं (गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्राओं को छोड़कर)
- (ii) मेट्रो-रेल सेवाएं

निम्नलिखित अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे-

- (i) सिनेमा-हॉल, जिम्नेजियम, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली-हॉल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान

### 2. कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशक-

कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशकों का अनुपालन किया जाए (संलग्नक-1)।

### 3. रात्रि-निषेधाज्ञा-

रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 CrPC के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा।

### 4. कन्टेनमेन्ट-ज़ोन में लॉकडाउन के दौरान गतिविधियां:-

- (i) कन्टेनमेन्ट-ज़ोन का निर्धारण राज्य-सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया है।
- (ii) कन्टेनमेन्ट ज़ोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।

- (iii) कन्टेनमेंट ज़ोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी।
- (iv) कन्टेनमेंट ज़ोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।
- (v) कन्टेनमेंट-ज़ोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ नये केस होने की सम्भावना हो उन्हें बफर-ज़ोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा जिनके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला-प्रशासन अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे।

**कन्टेनमेंट-ज़ोन को निम्नवत परिभाषित किया जाता है:-**

**(A) कन्टेनमेंट-ज़ोन शहरी क्षेत्र**

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, क्लस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट ज़ोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर ज़ोन भी होगा।
- (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-ज़ोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
  - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-ज़ोन घोषित किया जाएगा।
  - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट ज़ोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-ज़ोन के सम्बन्ध में-
  - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
  - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
- (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए-
  - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।

(ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।

ऐसे तलों(Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या- 4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

**(B) कन्टेनमेंट-ज़ोन ग्रामीण क्षेत्र**

(1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।

(2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट ज़ोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर ज़ोन में आएं।

5. राज्य सरकार द्वारा निम्न वर्णित गतिविधियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति दी जाती है-

(i) गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया/कन्टेनमेंट ज़ोन के अन्दर के व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध रहेगा, लोक-स्वास्थ्य हित को सुनिश्चित करने हेतु जनपद गौतमबुद्धनगर/ गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से विचार विमर्श कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइड लाइन्स के अनुसार निर्णय लेकर अपने स्तर से पृथक आदेश अपने क्षेत्र हेतु जारी किए जाएंगे।

(ii) समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे किन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो इस हेतु समस्त कार्यालय स्टॉफ को तीन पालियों में विभाजित करते हुए बुलाया जाएगा। प्रथम पाली प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक, द्वितीय पाली प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक एवं तृतीय पाली प्रातः 11.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक रहेगी। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर एवं सोशल-डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को थर्मल-स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन, फेस-मास्क व फेस-कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जाएगी। उद्योगों में रात्रि-शिफ्ट की अनुमति भी इन्हीं शर्तों के साथ होगी, किन्तु रात्रि शिफ्ट हेतु स्टॉफ के लिए सुरक्षित परिवहन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) पूरे प्रदेश में जो भी दुकान खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस-कवर/मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।

- (v) समस्त बाज़ार सुबह 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खोले जाएंगे। बाजारों को इस प्रकार खोला जायेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाज़ार खुले तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मण्डल एवं जन-प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे।
- (vi) सुपर मार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स एवं सैनिटाइजेशन की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
- (vii) सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 से 07.00 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी-मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
- (viii) शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक-मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक-मण्डी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
- (ix) मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नहीं खाएगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क, फेस- कवर, ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
- (x) बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी/बारात-घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
- (xi) स्ट्रीट-वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सैनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी।
- (xii) सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल-डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टॉफ द्वारा भी फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाए।
- (xiii) नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- (xiv) राजस्व ग्राम/मजरा यदि कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तो उक्त ग्राम/मजरों में खेती की जमीन पर रोपाईं/बुआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी।

- (xv) टैक्सी/मैक्सी- कैब सर्विस/ग्री-व्हीलर ऑटो/ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाये जाएंगे। वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी।
- (xvi) दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा।
- (xvii) रोडवेज बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा; स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालकों को मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल-स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाए। बस-स्टेशन अथवा बस-स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके।
- (xviii) स्टेज-कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट (निर्धारित सीट तक) धारक बसों को संचालन की अनुमति आवश्यक प्रतिबन्धों, सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के अनुपालन करने के साथ होगी।
- (xix) सिटी-बस सेवा का संचालन भी उपरोक्त शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा।
- (xx) सभी प्रकार के वाहनों के संचालन में उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट एवं एपेडैमिक एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
- (xxi) समस्त प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य-सेतु एवं आयुष-कवच कोविड ऐप डाउनलोड कर उसके प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।
- (xxii) पार्कों को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ प्रातः 05.00 बजे से 08.00 बजे तक व सायंकाल 05.00 बजे से 08.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्कों में पेट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था भी की जाए।
- (xxiii) खेल-परिसर/स्टेडियम को क्रीड़ा/अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी किन्तु इनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।

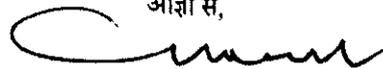
6. व्यक्तियों एवं माल/वस्तुओं आदि के निर्बाध-आवागमन के सम्बन्ध में:-

- (i) अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा एवं इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा होने वाले आवागमन, घरेलू विमान यात्राएं, विदेशों में फैसे हुए भारतीय के आवागमन, चिन्हित/विशिष्ट व्यक्तियों/ फैसे हुए विदेशी राष्ट्रिकों का विदेश गमन।
- (iii) समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन एवं पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी।
- (iv) लोक-स्वास्थ्य हित में अग्रिम रूप से पर्याप्त प्रचार-प्रसार करते हुए स्थानीय प्राधिकारी/जिला प्रशासन द्वारा लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया जा सकेगा।

7. **संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा-**
- (i) समस्त ज़ोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात् एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।
8. **आरोग्य-सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग-**
- (i) आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरुद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।
- (ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप को भी डाउनलोड किया जाए।
- (iii) जिला-प्रशासन/स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।
9. **गाइडलाईन का कड़ाई से क्रियान्वयन-**  
समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त समस्त उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
10. **दण्डात्मक प्रावधान-**  
लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण (संलग्नक-2) में दिए गए हैं।
-   
 (राजेंद्र कुमार तिवारी)  
 मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव:

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासना
  2. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासना
  3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
  4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासना
  5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा विभाग की ओर से जोनिंग गाइडलाईन्स जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
  
 (अवनीश कुमार अवस्थी)  
 अपर मुख्य सचिव, गृह

### State Directives for COVID-19 Management

1. **Face coverings:** Wearing of face cover is compulsory in public places; in workplaces; and during transport.
2. **Social distancing:** Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet (2 gaz ki doori) in public places.  
Shops will ensure physical distancing among customers and will not allow more than 5 persons at one time.
3. **Gatherings:** Large public gatherings/ congregations continue to remain prohibited.  
Marriage related gatherings : Number of guests not to exceed, 30  
Funeral/ last rites related gatherings : Number of persons not to exceed 20.
4. **Spitting in public places** will be punishable with fine, as may be prescribed by the State/ UT local authority in accordance with its laws, rules or regulations.
5. **Consumption of liquor, paan, gutka, tobacco etc.** in public places is prohibited.

#### Additional directives for Work Places

6. **Work from home (WFH):** As far as possible the practice of WFH should be followed.
7. **Staggering of work/ business hours** will be followed in offices, work places, shops, markets and industrial & commercial establishments.
8. **Screening & hygiene:** Provision for thermal scanning, hand wash and sanitizer will be made at all entry and exit points and common areas.
9. **Frequent sanitization** of entire workplace, common facilities and all points which come into human contact e.g. door handles etc., will be ensured, including between shifts.
10. **Social distancing:** All persons in charge of work places will ensure adequate distance between workers, adequate gaps between shifts, staggering the lunch breaks of staff, etc.

\*\*\*

## Offences and Penalties for Violation of Lockdown Measures

## A. Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005

**51. Punishment for obstruction, etc.**—Whoever, without reasonable cause —

- (a) obstructs any officer or employee of the Central Government or the State Government, or a person authorised by the National Authority or State Authority or District Authority in the discharge of his functions under this Act; or
- (b) refuses to comply with any direction given by or on behalf of the Central Government or the State Government or the National Executive Committee or the State Executive Committee or the District Authority under this Act.

shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.

**52. Punishment for false claim.**—Whoever knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits consequent to disaster from any officer of the Central Government, the State Government, the National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

**53. Punishment for misappropriation of money or materials, etc.**—Whoever, being entrusted with any money or materials, or otherwise being, in custody of, or dominion over, any money or goods, meant for providing relief in any threatening disaster situation or disaster, misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part thereof or wilfully compels any other person so to do, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

**54. Punishment for false warning.**—Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic, shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine.

**55. Offences by Departments of the Government.**—(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Department of the Government and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the head of the Department, such officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

56. Failure of officer in duty or his connivance at the contravention of the provisions of this Act.—Any officer, on whom any duty has been imposed by or under this Act and who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office shall, unless he has obtained the express written permission of his official superior or has other lawful excuse for so doing, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

57. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.—If any person contravenes any order made under section 65, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

58. Offence by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company or body corporate, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also, be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanation.*—For the purpose of this section—

(a) "company" means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals: and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

59. Previous sanction for prosecution.—No prosecution for offences punishable under sections 55 and 56 shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be, or of any officer authorised in this behalf, by general or special order, by such Government.

60. Cognizance of offences.—No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by—

(a) the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised in this behalf by that Authority or Government, as the case may be: or

(b) any person who has given notice of not less than thirty days in the manner prescribed, of the alleged offence and his intention to make a complaint to the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised as aforesaid.

**Section 188, in the Indian Penal Code, 1860**

188. Disobedience to order duly promulgated by public servant.—Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such disobedience causes or tends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

*Explanation.*—It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm.

*Illustration*

An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.

\*\*\*